न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 147/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
राजेन्द्र कुमार आर्य पुत्र नारायणलाल जाति मालवीय लोहार निवासी माली मोहल्ला मारवाड जंक्शन तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–2016 जो उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा मुकदमा संख्या 77/2013 अनवान राजेन्द्रकुमार बनाम तहसीलदार मारवाड जंक्शन मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री भूपत सिह जोधा अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 7–10–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन के समक्ष इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम सिरीयारी तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नंबर 1232 की भूमि मे से आसूराम पुत्र घीसाराम कौम कुम्हार को 0.7588 हेक्टेयर भूमि का आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया गया था जो भूमि सड़क मार्ग सोजत से फुलाद पर स्थित व लगती हुई है । उक्त सडक सीमा को छोडकर पटवारी हल्का ने आसुराम को कब्जा सुपुर्द किया तथा तब से आसुराम उसे आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि आसुराम ने उक्त आवंटित भूमि का रजिस्टर्ड बेचान अपीलांट राजेन्द्रकुमार को कर दिये जाने पर अपीलांट ने पटवारी हल्का से जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त करने पर पता चला कि अपीलांट द्वारा खरीद की गई आराजी की नक्शे मे तरमीम नही है इसलिए खसरा नंबर 1232 रकबा 0.7588 हेक्टेयर भूमि का नाप कर नक्शे मे तरमीम की जाये तथा उससे आगे खसरा नंबर 1232/1 मे अन्य खातेदार वरदाराम पुत्र गोरधन जाति घांची निवासी सिरीयारी की आराजी की भी नक्शे मे तरमीम की जाये । उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार मारवाड जंक्शन को नोटिस जारी कर उनकी ओर से जवाब तलब किया जाकर पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2016 मे बमुकाम

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सिरीयारी मे दिनांक 18-5-2016 को रखते हुए तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका जांच अनुसार सरहद मौजा सिरीयारी के खसरा नंबर 1232 व 1232/1 की तरमीम कर इन्द्राज करने हेतुं अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट उल्लेख किया था कि उसके खरीदसुदा खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1232 जो कि मुख्य सडक मार्ग सोजत से फूलाद पर स्थित व लगती हुई है जिसका राजस्व नक्शा मे सीमांकन/तरमीम किया हुआ नही है जिसे मौके पर बेचान दस्तावेज मे उल्लेख अनुसार तरमीम किया जाये तथा खसरा नंबर 1232/1 जो वरदाराम पुत्र गोरधन कौम घांची का है, उसकी भी तरमीम की जाये परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बेचान दस्तावेज मे अंकित पडौस के अनुसार तरमीम नही कर तथा अपीलांट की इस्तदुआ पर गौर किये बिना ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार मारवाड जंक्शन की जिस मौका फर्द दिनांक 27-5-2016 के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उक्त मौका फर्द अपीलांट की अनुपस्थिति मे बिना खातेदारो को सुचित किये तैयार की गई थी इसलिए एकतरफा तैयार कर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-5-2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन को अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन से मौका रिपोर्ट तलब कर माफिक मौके की स्थिति जो खसरा नंबर 1232 एवं 1232/1 की तरमीम करने बाबत आदेश पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनाक 18–5–2016 का अध्ययन किया एवं वर्तमान अपील के सलंग्न अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित बेचान दस्तावेज का भी अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे उल्लेख किया है कि उसके द्वारा ग्राम सिरीयारी तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नंबर 1232 की भूमि के खातेदार आसूराम पुत्र घीसाराम कौम कुम्हार से खरीद की गई है जो भूमि सडक मार्ग सोजत से फुलाद पर स्थित व लगती हुई है परंतु उक्त खरीदसुदा आराजी की नक्शे मे तरमीम नही है इसलिए खसरा नंबर 1232 रकबा 0.7588 हेक्टेयर भूमि का नाप कर नक्शे मे तरमीम की जाये तथा उससे आगे खसरा नंबर 1232/1 मे अन्य खातेदार वरदाराम पुत्र गोरधन जाति घांची निवासी सिरीयारी की आराजी की भी नक्शे मे तरमीम की जाये ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध मे तहसीलदार मारवाड जंक्शन से मौका की वस्तुस्थिति तलब की जाने पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत मौका फर्द जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है, का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि उक्त मौका फर्द पर किसी खातेदार काश्तकार के हस्ताक्षर नही है अथार्त उक्त फर्द मौका बिना अपीलांट की उपस्थिति मे तथा उन्हे सुचित किये बिना तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट के प्रार्थना पत्र मे चाही गई इस्तदुआ पर गौर एवं विचार किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जाना प्रतीत होता है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा अपीलांट ने वर्तमान अपील के साथ अपने पक्ष मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे निष्पादित बेचान दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की है उक्त बेचान दस्तावेज मे बेचानकर्ता ने बेचान की गई भूमि को मुख्य सडक पर स्थित होना बताया है तथा उक्त बेचान की गई भूमि के प्रतिफल की राशि प्राप्त करना तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द करने का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द मे अपीलाधीन भूमि के आवंटी आसुराम द्वारा उक्त भूमि का बेचान वर्तमान अपीलांट राजेन्द्रकुमार को होना तो माना है लेकिन केता ने विकेता से मौके पर कब्जा नही लिया जाने का उल्लेख करते हुए फर्द मौका मे एक नजरी नक्शा खसरा नंबर 1232 मे अपीलांट राजेन्द्रकुमार की तरमीम तथा खसरा नबर 1232/1 मे वरदाराम पुत्र गोरधन कौम घांची की सडक पर तरमीम दर्शाते हुए प्रस्तुत की तथा अधीनस्थ

न्यायालय ने भी बिना बेचान दस्तावेज का अवलोकन किये तथा बिना अपीलांट को सुने केम्प मे ही उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय तहसीलदार मारवाड जंक्शन की रिपोर्ट के माफिक कर दिया, जो समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा केम्प मे पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2016 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करे तथा अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित बेचान दस्तावेज का भी अवलोकन कर अपीलांट के प्रार्थना पत्र का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करें ।

निर्णय आज दिनांक 7–10–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर